

कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय देवास.

कमांक 529/29/35/नग्रानि/10

देवास, दिनांक 21/12/2010



श्रीमति विमल पति एकनाथ नारखेडे,
श्रीमति सुलोचना पति योगराज खर्चे एवं
सु श्री हिना पिता योगराज खर्चे
204 शालीमार जाम इन्दौर

**यह मानचित्र/दस्तावेज सूचना
का अधिकार अधिनियम-
2005 के तहत प्रदान किया
जाता है।**

विषय:-

ग्राम जेतपुरा तहसील देवास की भूमि सर्वे कमांक 502/2/1, 502/2/2,
502/2/3 कुल रकबा 2.153 हेक्टर पर वेयर हाउस उपयोग हेतु स्थल अनुमोदन
बाबत।

संदर्भ:-

आपका आवेदन दिनांक 10-12-2010।

::00::

उपरोक्त विषय के संदर्भित पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो एवं शपथ पत्र के आधार पर ग्राम जेतपुरा की भूमि सर्वे कमांक 502/2/1, 502/2/2, 502/2/3 कुल रकबा 2.153 हेक्टर पर वेयर हाउस उपयोग हेतु म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम-1973 की धारा-30 (1)-(ख) तथा म0प्र0 भूमि विकास नियम-1984 के नियम-2(5)(क) एवं नियम-27 के अधिन स्थल अनुमोदन कर निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है :-

1. निम्नलिखित अधिनियम नियम/सक्षम प्राधिकारी तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-
अ. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-172
ब. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1956 (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्त) नियम-1998,
स. नजूल विभाग, देवास।
द. देवास विकास प्राधिकरण देवास।
ई. अन्य किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो, तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

सहायक स. ला अधिकारी

नगर तथा ग्राम निवेश
विद्या कार्यालय, देवास

संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमि के अंतर्गत चारो ओर सीमांत खुले क्षेत्र छोडना अनिवार्य होगा।

3.

प्रस्ताव अनुसार अच्छादित क्षेत्र 30 / प्रतिशत मान्य होगा। वेयर हाउस की अधिकतम उचाई 12.5 मीटर से अधिक मान्य नहीं होगी।

निरंतर.....2

यह मानचित्र/दस्तावेज सूचना
का अधिकार अधिनियम-
2005 के तहत प्रदान किया
जाता है ।

स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से समस्त आधार भूत सुविधाओं का विकास स्वयं आवेदक को करना होगा ।

5. भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीक से करना होगा ।
6. म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 (4) अनुसार रेनवाटर हावेस्टिंग की प्रणाली स्थापित करना होगी ।
7. उक्त अनुज्ञा की शर्तों के आधार पर म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के तहत भवन का आंतरिक प्रस्ताव तैयार कर नियमानुसार भवन निर्माण अनुज्ञा नगर पालिक निगम देवास से प्राप्त करना होगी ।
8. उक्त अनुज्ञा पत्र जारी होने के दिनांक से 3 (तीन) वर्ष तक मान्य होगी ।
9. उक्त अनुज्ञा को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं माना जावे ।
10. विष्यांकित भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग से कराना होगा । सीमांकन उपरांत स्थल की सीमा अथवा स्थल मानचित्र अनुसार यदि कोई भिन्नता आती हो तो सीमांकित स्थल मानचित्र का अनुमोदन इस कार्यालय से कराना होगा ।
11. भूमि की वैधानिकता के सम्बंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर अथवा दी गई जानकारी असत्य पाई जाने पर या उक्त अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत (रिहोक) की जा सकेगी ।

सत्य प्रतिलिपि

का/प्र/१०

उप संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय देवास

क्रमांक 1530/1531 /नग्रानि/10
प्रतिलिपि :-

देवास, दिनांक 21/12/2010

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 2- आयुक्त नगर पालिक निगम देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सहायक उ. & अ. अधिकारी

नगर तथा ग्राम निवेश



जिला कार्यालय, देवास

उप संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय देवास

का/प्र/१०

KHASRA MAP
SCALE :- 1 : 4000





Valid Up To 20/12/2013
APPROVED



ESSAR
PETROL
PUMP

KAUTLYA
ACADEMY
RES. SCHOOL



As Per Conditions given in memo
No. 1529 Dated 21/12/2010


LOCATION MAP
SCALE :- N.T.S.

PROPOSED SITE PLAN OF WAREHOUSE
ON KH.NO.502 / 2 / 1, 502 / 2 / 2, 502 / 2 / 3
AT GRAM JETPURA TEH. & DIST. DEWAS

B.T.O. :- Smt. Vinal w/o. Aiknath Narkhadi
Shri Aiknath s/o. Namdev Narkhadi
Hima d/o. Yograj Kharchi
Sulochna w/o. Yograj Kharchi

AREA - STATEMENT

TOTAL LAND AREA = 21530.00 SQ.M.(100.0%)
PER.GRO.COV.AREA = 8612.00 SQ.M.(40.0%)
PRO.GRO.COV.AREA = 3806.95 SQ.M.(32.77%)
"A" = 3806.95 SQ.M. 6450.00 sqm. 30%
"B" = 3250.20 SQ.M.)
OPEN AREA 15080 = 2599.00 SQ.M.(12.07%)
PER.F.A.R 50% : 0.75
PRO.M.O.S 50% AS PER SITE PLAN



OWNER'S SIGN.

SHATRUGHAN KASTURIA
M.E. Highways M.I.I.C.
Electrical/TP/T&C/05